संख्या-8/3089/ वित्तीय वर्ष /2012-13

प्रेषक,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
8वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष ,
विकास प्राधिकरण वाराणसी ।

लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त,2012

विषयः तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राज्य विशिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाराणसी शहर के घाटों एवं कुण्डों के विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि शासनादेश संख्या-1086/9-9- 9-2012-101ज/09 टीसी-1 दिनॉक 14-08-2012, द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 13 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वाराणसी के घाटों एवं कुण्डों के विकास के सम्बन्ध में वर्ष 2011-15 हेतु संस्तुत रू0 4500.00 लाख के सापेक्ष आयुक्त वाराणसी के पत्रांक-152/वि प्रा /उ.पा. /2010-11 दिनांक 30.10.2010 द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की कार्य योजना में उल्लिखित कार्यो को कराने हेतु प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि रू0 1165.96 के सापेक्ष धनराशि रू0 1125.00 लाख **(रूपये ग्यारह करोड़ पचीस लाख मात्र)** की धनराशि उपाध्यक्ष , वाराणसी विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1- स्वीकृत अनुदान का उपयोग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.11(9)एफसीडी/2010 दिनांक 26.04.2011(छायाप्रति संलग्न) की गाइडलाइन्स के अनुसार ही किया जायेगा ।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित निकाय द्वारा जनपद कोषागार से किया जायेगा । स्वीकृत की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी ।

3- स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पीएलए व डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा । धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

4- निकाय द्वारा धनराशि की आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय / शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5- टेण्डर की कार्यवाही कार्य योजना में उल्लिखित कार्यो हेतु ही नियमानुसार ही किया जायेगा ।

6- इस अनुदान के लेखों का रख रखाव नियमानुसार संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के द्वारा की जायेगी ।

7- 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत लिए जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जायेगे । लेखो का रख रखाव तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा । तत्संबंधी प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

8- विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित कार्य योजना पर उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त है । इसलिए कार्य योजना में उल्लिखित कार्यो के अतिरिक्त किसी भी दशा में अन्य कार्य नहीं कराये जायेगे । परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय ।

9- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा ।

10- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-04-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन -0401-वाराणसी की अवसंरचना सुधार -35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा"

भवदीया,

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक ।

संख्या एवं दिनांकःतदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च), उ0प्र0 इलाहाबाद/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखापरीक्षा एवं लेखा), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
4- विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-1086/9-9-9-2012-101ज/09 टीसी-1 दिनॉक 14-08-2012 के अनुपालन में ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन ।
8- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
10- नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी को शासनादेश संख्या-1086/9-9- 9-2012-101ज/09 टीसी-1 दिनॉक 14-08-2012 एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.11(9)एफसीडी/2010 दिनांक 26.04.2011 की गाइडलाइन्स की प्रति सहित ।
11- मण्डलायुक्त वाराणसी को शासनादेश संख्या-1086/9-9- 9-2012-101ज/09 टीसी-1 दिनॉक 14-08-2012 एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.11(9)एफसीडी/2010 दिनांक 26.04.2011 की गाइडलाइन्स की प्रति सहित ।
12- जिलाधिकारी वाराणसी को शासनादेश संख्या-1086/9-9- 9-2012-101ज/09 टीसी-1 दिनॉक 14-08-2012 एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.11(9)एफसीडी/2010 दिनांक 26.04.2011 की गाइडलाइन्स की प्रति सहित ।
13- कोषाधिकारी, वाराणसी को शासनादेश संख्या-1086/9-9- 9-2012-101ज/09 टीसी-1 दिनॉक 14-08-2012 एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.11(9)एफसीडी/2010 दिनांक 26.04.2011 की गाइडलाइन्स की प्रति सहित ।
14- गार्ड फाइल हेतु ।

(एस0डी0मौर्य)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–1086 /9–9–2012–101ज/09टी.सी.–1

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त 2012

विषयः– तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राज्य विशिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वाराणसी शहर के घाटों एवं कुण्डों के विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्य पाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वाराणसी के घाटों एवं कुण्डों के विकास के सम्बन्ध में वर्ष 2011–15 हेतु संस्तुत रूपये– 4500.00 लाख के सापेक्ष आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी के पत्रांक–152/वि प्रा/उ.पा./2010–11 दिनॉक 30.10.2010 द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 की कार्य योजना में उल्लिखित कार्यो को कराने हेतु प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि रूपये–1165.96 के सापेक्ष धनराशि रुपये–1125.00 लाख (ग्यारह करोड़ पचीस लाख मात्र) उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी को अवमुक्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आप के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

12. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि 13 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नियमानुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण को तत्काल आवंटित की जायेगी।
13. स्वीकृत अनुदान का उपयोग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–एफ.11(9) एफसीडी/2010 दिनॉक 26.04.2011 (छायाप्रति संलग्न) की गाइडलाइन्स के अनुसार ही किया जायेगा।
14. स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित निकाय द्वारा जनपद कोषागार से किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

15. स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पीएलए व डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा। धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

16. निकाय द्वारा धनराशि की आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगे तथा उसकी सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

17. टेण्डर की कार्यवाही कार्य योजना में उल्लिखित कार्यो हेतु ही नियमानुसार की जायेगी।

18. इस अनुदान के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

19. 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत लिए जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जायेगे। लेखों का रख रखाव तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। तत्संबंधी प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

20. विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित कार्य योजना पर उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इसलिए कार्य योजना में उल्लिखित कार्यो के अतिरिक्त किसी भी दशा में अन्य कार्य नहीं कराये जायेगे। परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।

21. स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रुप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

22. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्यय अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4217– शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–60–अन्य शहरी विकास योजनाएं –191 नगर निगमों को सहायता–04–तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन–0401–वाराणसी की अवसंरचना सुधार–35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—यू.ओ.ई—8— 992 /दस/12, दिनाक—31.07.12 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

14/8/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या—1086 (1)/नौ—9—06तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उ0प्र0 इलाहाबाद/प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
3. कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. नगर आयुक्त नगर निगम, वाराणसी।
6. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।
7. वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग—8 / वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1/2 वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग / वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

No. F 11(9)/FCD/2010
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Finance Commission Division

Block No. XI, 5th Floor, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi, 26th April, 2011

To
The Chief Secretary,
Government of
(All State Governments)

Subject: Implementation of recommendation of Thirteenth Finance Commission- issue of guidelines for release and utilisation of grant-in-aid for **State Specific Needs** recommended by Thirteenth Finance Commission.

Dear Sir/Madam,

The recommendations of Thirteenth Finance Commission for the award period 2010-15 include, inter-alia, release of grant-in-aid to the State Governments for **State Specific Needs.** State Governments are advised to utilise the grant in conformity with the recommendations of the Commission contained in paras 12.115 to12.326 of the report of FC-XIII (Vol. I).

I am enclosing herewith the guidelines for release and utilization of grant-in-aid for State Specific Needs as recommended by the Thirteenth Finance Commission for information and necessary action. These guidelines are also accessible on this Ministry's website: http://www.finmin.nic.in/TFC/guidelines.asp

Yours faithfully,

Encl.: As above

(Alok Chandra)
Director (FCD)
Tel: 24360647
Fax: 24360174
Email: alok.chandra@nic.in

Copy with a copy of the guidelines to:-
Principal Secretary (Finance), Government of
(All State Governments)

F. No. 11(9)/2010-FCD
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Finance Commission Division

11th Block, 5th Floor,
CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi- 110003.
Dated: 26th April 2011

Subject: Implementation of recommendation of Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) regarding release and use of grant-in-aid for **State Specific Needs.**

Recognising that States have specific issues and local needs, the Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) has recommended grants-in-aid, amounting to Rs.27945 crore, to address state specific needs during its award period, 2010-15. The recommendations have been accepted along with the conditions stipulated by FC-XIII.

2. State specific grants (SSG) are available from 2011-12 onwards to States, except for three grants already released in 2010-11. State-wise and year-wise allocations are contained in table 12.6 of the report of FC-XIII (Vol.I), reproduced in **Annex I** to this letter. A perusal of paragraphs 12.118 to 12.323 in Vol.I of FC-XIII's report clarifies the objectives and contours of each recommended grant. These grants are to be accounted as plan resources in the States' plans.

Objectives

3. The SSGs are focussed on the needs to:

i) address the specific needs of marginal areas and marginal groups within States;
ii) provide infrastructure to alleviate some of the problems faced by the local population in blocks and tehsils along the international borders;
iii) protect historical monuments, archaeological sites and heritage buildings, which are not with the Archaeological Survey of India (ASI);
iv) provide safe drinking water, especially in regions afflicted with arsenic, salinity and fluoride related problems;

v) fill gaps in critical infrastructure for health, including care for children;

vi) set up and strength skill-building institutions to help provide employable skills; and

vii) meet the training requirements of police personnel at various levels.

Conditions of release

4. The release of SSGs is subject to the following pre-conditions:

i) States' enactment/amendment their FRBM Acts, incorporating the targets (regarding deficit and debt reduction) laid down by FC-XIII (para-9.82 of report), as communicated vide Ministry of Finance letter No.1(1)/FRU-2010 dated 14.01.2011. SSGs will be liable to be withheld to a State if it fails to comply with the requirements relating to FRBM roadmap.

ii) Upon GST being introduced, if a State fails to abide by an agreement that it has entered into on GST, SSGs will become liable to be withheld for the period during which a State is in violation of the agreement. If a State is in violation only for a part of a year, the SSGs will be liable to be reduced pro-rata (para-5.52).

iii) Funds from any of the SSGs are not to be used for land acquisition. Wherever land is required for the project being funded, such land will need to be made available by the State Government.

Phasing of release of SSGs

5.

i) The first instalment will be released on submission of the working plan, approved by the State High Level Committee (HLMC) chaired by the Chief Secretary. A copy of the approved working plan needs to be sent to the Department of Expenditure and each of the line Ministries concerned. Release of subsequent instalment will be on receipt of a utilization certificate as per GFR 2005 in respect of any previous release from this grant.

ii) An indicative phasing of the state-specific grants is given in **Annex-I.** Grants would be released in four instalments during the award period 2011-15 as in Annex-I. For projects involving construction, 10% of the grant will be withheld, and released on submission of a completion certificate (CC). States are requested to ensure that CCs are

submitted well before March, 2015 so that final releases can be made within the award period of FC-XIII (2010-15).

iii) If a State intends to have phasing of grants different from that given in Annex-I, this may be communicated to Ministry of Finance, with justification, along with a copy of the minutes of the relevant meeting of the HLMC, referred to in para 6 below. While proposing revised phasing, States are requested to take into account their absorptive capacities. In case any revised phasing entails release of more than 25% of the grant in 2011-12, it may be possible to release the additional amount after provision of a supplementary allocation, in January, 2012.

iv) Activities undertaken from funding under this grant, in conformity with the approved working plan, will be complementary to those under existing schemes/programs of the Central Govt. Any overlap of activities under existing schemes/programs must be avoided. A copy of this communication is being endorsed to the concerned central line Ministries, to facilitate dovetailing of benefits under their schemes with those intended from the SSGs.

v) Accounts shall be maintained and utilization certificates provided as applicable for Grants-in-aid under the General Finance Rules (GFR 2005).

Monitoring agency in the State

6. Every State shall constitute a High Level Monitoring Committee (HLMC) for approval of the State's working plan and monitoring of utilisation of SSGs in accordance with this plan. The HLMC shall be headed by the Chief Secretary to the State Government and will include the Finance Secretary and Secretaries of Departments concerned as members. The HLMC shall meet on a quarterly basis during the award period. Minutes of HLMC meetings shall be provided to the Department of Expenditure (Finance Commission Division), Ministry of Finance and the line Ministry concerned in the Government of India.

Monitoring agency in Union Government

7. The broad sector-wise segregation of the grants recommended by FC-XIII for meeting State Specific Needs is summarized in **Annex-II**. A perusal of

paragraphs 12.118 to 12.323 in Vol.I of FC-XIII's report is essential to clarify the objectives and contours of each recommended grant. Review Committees will be chaired, where feasible, by Secretaries of line Ministries/Department as suggested in Annex-II. These Review Committees will include a representative, inter-alia, from the Ministry of Finance (Department of Expenditure). The Committees shall review working plans of States to ensure complementarity of activities to be undertaken from this grant and those under existing schemes/programs of the Central Govt., to avoid duplication of expenditure, and monitor the progress of the implementation of the grants on a regular basis. Wherever it is deemed appropriate by the line Ministry concerned, the SSGs may be monitored by existing Committees focussed on similar projects or schemes.

Audit by the Controller and Auditor General

8. The Comptroller and Auditor General of India would audit the release and use of the grants-in-aid.

(Alok Chandra)
Director (FCD)
Tel.: 011-24360647
Fax: 011-24360174
Email: alok.chandra@nic.in